न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 77 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 13.12.2020

जमना लाल पुत्र फैली मीणा जाति मीणा निवासी पाडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 28.09.2020 मिसल नम्बर 1496 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 28.04.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान बनाकर अतिकमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 50 / रू. पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही नि[illegible]ल्का ने मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित जाकर झूठी शिकायत क[illegible]र्ट पेश की है। अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर मकान बनाक[illegible] है। अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिकमण का कोई [illegible] मे पूर्व मे [illegible]ली का निर्णय या बेदखली का प्रतिवे[illegible]ा है। अपीलांट ने [illegible] छोडने

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 331 रकबा 0.05 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर तीन माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिकमण किया था, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयान से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट के पुत्र की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 331 रकबा 0.05 है0किस्म चरागाह वाके ग्राम पाडली तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.04. 2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि से कोई संबंध नही है,उक्त भूमि पर मेरा कोई कब्जा काश्त नही है,ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण है। मैने स्वेच्छा से उक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है,मेरा उक्त भूमि पर कोई अतिकमण भी नही है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 28.09.2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:14:02 IST
Reason: SelfAttested